न्यायालय उपखण्ड अधिकारी, निवाई, जिला टोंक

(पीठासीन अधिकारीः सुरेश कुमार हरसोलिया, आर.ए.एस.)

वद (प्रार्थना पत्र) संख्या – 107/2018
प्रविष्टि दिनांक – 13.8.2018

उनवान

1. रामनाथ पुत्र गोपी जाति मीना निवासी ग्राम जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक

–आवेदक/ वादी

बनाम

1. तहसीलदार निवाई जिला टोंक

विपक्षी

उपस्थित–श्री नरेन्द्र कुमार जाट–वकील वादी
पैरोकार सरकार–वकील प्रतिवादी

निर्णय
प्रार्थनापत्र दुरूस्ती इन्द्राज

दिनांक : 30/1/25

संक्षेप मे तथ्य इस प्रकार है कि अधिवक्ता वादी द्वारा प्रस्तुत वाद पत्र मे अंकित तथ्य संक्षेप मे इस प्रकार है कि वादी की खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की भूमि खसरा नंबर 1247 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक मे स्थित है। वादी का नाम रामनाथ पुत्र गोपी है किन्तु राजस्व कर्मचारियो ने वादी की उक्त भूमि मे सहवन से नारायण पुत्र गोपी अंकित कर दिया जबकि वादी की अन्य भूमि जो कि जामडोली मे स्थित है उसमे वादी का नाम रामनाथ पुत्र गोपी अंकित है। जमडोली मे नारायण पुत्र गोपी मीना नाम का कोई व्यक्ति नही है। राशनकार्ड, पहचान पत्र, आधार कार्ड, एवं राजस्व दस्तावेज मे वादी का नाम रामनाथ ही है। अतः उक्त भूमि मे वादी का नाम नारायण के स्थान पर रामनाथ किया जाकर राजस्व रिकार्ड मे दुरूस्ती की जावे।

इसके पश्चात आवेदन पत्र दर्ज रजिस्टर कर प्रतिवादी को जरिये नोटिस तलब किया गया।

अधिवक्ता प्रार्थी द्वारा साक्ष्य दस्तावेज के रूप मे जमाबंदी खेवट खतोनी संवत 2011–2030, 2030–2034, 2051–2054, 2034–2070–73, आधारकार्ड, पहचान पत्र , राशनकार्ड, आदि प्रस्तुत किये जो शामिल पत्रावली है।

प्रकरण मे पैरोकार सरकार का जवाब प्राप्त हुआ जिसमे अंकितानुसार खसरा नंबर 1247 रकबा 14.7 बीघा ग्राम जामडोली मे स्थित है जो भू–प्रबन्ध खतोनी खेवट 2011–30 मे हीरा वल्द पूरिया व गोगाराम वल्द बिरधा कोम माली के नाम दर्ज था। नामान्तरकरण सं0 70 से हीरा वल्द पूरिया के फोत होने पर सम्पूर्ण खसरा नंबर गंगाराम पुत्र बिरधा माली के नाम दर्ज हुआ थ। नामान्तरकरण सं0 184 दिनांक 23.7.1967 बेचान से उक्त भूमि जगदीश काना पुत्र सुखराम, गंगाराम पुत्र भूरालाल, रामसहाय पुत्र श्योनारयण गोपाल पुत्र प्रताबा नारायण रामकरण पुत्र गोपी कोम मीणा सा0 देह व हि0 बरा के नाम दर्ज हुई। वर्तमान जमाबंदी मे भी खातेदार के रूप मे नारायण पुत्र गोपी का नाम दर्ज है। विकय पत्र मे क्या नाम दर्ज हे इसे देखे बिना दुरूस्ती उचित नही है।

इसके पश्चात वादपत्र पर अधिवक्ता वादी की बहस सुनी गई। बहस के दौरान अधिवक्ता वादी ने वाद पत्र मे अंकित तथ्यों को दोहराते हुए बहस की।

हमने पत्रावली पर उपलब्ध दस्तावेजो का अध्ययन किया एवं बहस पर मनन किया। प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों के परीक्षण मे पत्रावली पर उपलब्ध श्रृंखलाबद्ध जमाबंदियो की श्रृंखला मे सबसे प्रथम जमाबंदी संवत 2011–2030 मे सहखातेदार के रूप मे नारायण पि. गोपी अंकित है तथा सबसे अंत की जमाबंदी संवत 2071–2074 मे भी सहखातेदार नारायण

पुत्र गोपी अंकित है। इस प्रकार उक्त तथाकथित त्रुटि को चलते हुए लगभग 70–75 वर्ष हो गये है। प्रार्थी द्वारा तत्समय ही उज्र क्यो नही पेश किया गया। अपितु जमावंदी सैटलमेटन्ट से भी गुजर चुकी है प्रार्थी को तत्समय भी त्रुटि के संबधं मे उज्र पेश करना चाहिए था। इतने समय तक प्रार्थी को, अपने नाम की त्रुटि का ज्ञान हो, यह विश्वसनीय प्रतीत नही होता है जबकि वर्तमान जमाबंदी मे तो सहखातेदारो मे हिस्सो की फलावट भी हो रखी है। पैरोकार सरकार की रिपोर्ट अनुसार प्रार्थी के नाम उक्त भूमि विक्रय पत्र के आधार पर आई है लेकिन पत्रावली पर विक्रय पत्र उपलब्ध नही है जिससे यह स्पष्ट नही हो पा रहा है कि उक्त त्रुटि कहां व किस प्रकार व कब हुई है। विवादित भूमि मे अन्य सहखातेदार भी है जिन्हे प्रार्थी द्वारा पक्षकार नही बनाया गया है, जिसके अभाव मे भी प्रार्थनापत्र के तथ्य साबित नही हो पाये है। प्रार्थी द्वार प्रस्तुत आधार कार्ड व अन्य दस्तावेज से यह तो साबित है कि उक्त दस्तावेज प्रार्थी के है लेकिन यह साबित नही हो पाया है कि नारायण ही रामनाथ है, इस तथ्य की पुष्टि मे संबंधित ग्राम पंचायत का प्रमाण पत्र भी उपलब्ध नही है। प्रार्थी के नाम नामान्तरकरण विक्रय पत्र के आधार पर ही भरा गया है सभंवतः तथाकथित त्रुटि विक्रय मे हो और यदि त्रुटि विक्रय पत्र मे हुई है तो विक्रय पत्र संशोधन का न्यायालय का अधिकार क्षेत्र नही है। इस प्रकार प्रार्थना पत्र मे अंकित तथ्यों को साबित करने हेतु पत्रावली पर साक्ष्य उपलब्ध नही होने के कारण प्रार्थी न्यायाल को संतुष्ट करने मे असफल रहा है। अतः साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे प्रार्थी का प्रार्थना पत्र विधि सम्मत प्रतीत नही होता है। अतः प्रार्थी का प्रार्थना पत्र स्वीकार योग्य नही है।

आदेश

फलतः वादी द्वारा प्रस्तुत प्रार्थना पत्र दुरूस्ती इन्द्राज बाबत खसरा नंबर 1247 रकबा 14 बीघा 7 बिस्वा वाके ग्राम जामडोली तहसील निवाई जिला टोंक साक्ष्य दस्तावेज के अभाव मे खारिज किया जाता है। प्रार्थना पत्र पत्रावली फैसल शुमार होकर नंबर से कम की जावे।

निर्णय आज **दिनांक** 30/1/25 लिखाया जाकर खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(सुरेश कुमार हरसोलिया)
उपखण्ड अधिकारी, निवाई